



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 52 राँची, मंगलवार, 28 माघ, 1947 (श०)
17 फ़रवरी, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

7 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना संख्या-ऋण/अर्थो०(15)/17/2025/688/बजट,--

विषय : झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund)
नियमावली, 2025 का गठन एवं प्रशासन।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा
9(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

नियम

झारखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है जहाँ खनन गतिविधि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% का योगदान करता है। खनन क्षेत्र से राजस्व में पट्टेदारों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी और सेस शामिल है। राज्य का स्व-गैरकर राजस्व में खनन क्षेत्र का हिस्सा लगभग 80% है एवं स्व-राजस्व में लगभग 26% है। राज्य अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए खनन प्रक्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। भूमिगत संसाधनों का खनन हमेशा जारी नहीं रह सकता। इसलिए, सतत विकास के लिए खनन क्षेत्र के विकल्प की आवश्यकता है। हालाँकि, खदानों द्वारा दी जाने वाली खनन रॉयल्टी और उपकर उत्पादन के कुल मूल्य पर निर्भर करते हैं। उत्पादन का कुल मूल्य खनिज की इकाई मूल्य और विक्रय किए गए खनिजों की मात्रा पर निर्भर करता है। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट आदि जैसे खनिजों की कीमत का राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजारों में धातुओं की मांग से प्रत्यक्ष संबंध है। भारतीय खान ब्यूरो अर्थव्यवस्था में धातुओं की कुल मांग को ध्यान में रखते हुए खनिजों की कीमत निर्धारित करता है। खनन राजस्व राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार में धातुओं की मांग और कीमत के प्रति काफी संवेदनशील होता है। तदनुसार, खनन राजस्व के साथ पर्याप्त जोखिम जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के लिए राजस्व अस्थिरता के संदर्भ में खनन क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय जोखिम को पहचानना अपरिहार्य हो गया है। झारखण्ड सरकार ने "बजट स्थिरीकरण कोष (बी०एस०एफ०)" बनाने का निर्णय लिया है, जो राज्य को अप्रत्याशित राजस्व कमी या बजट घाटे के समय के लिए खनन राजस्व (सेस रहित) का 10% को बजट रिजर्व के रूप में अलग रखने में सक्षम बनाएगा। राजस्व अस्थिरता को कम करने के लिए बजट स्थिरीकरण कोष को एक साधन के रूप में अपनाया जाएगा।

योजना का शीर्षक

1. इस योजना को झारखण्ड सरकार (जिसे आगे सरकार कहा जाएगा) का "झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष" (जिसे आगे "निधि" कहा जाएगा) कहा जाएगा।

निधि का गठन

2. इस निधि का गठन राज्य के अधिशेष राजस्व से किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष झारखण्ड समेकित निधि से अलग रखा जाता है, ताकि अप्रत्याशित राजस्व कमी या प्रतिबद्ध देयता में अप्रत्याशित वृद्धि या बजट घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि के समय बजट रिजर्व के रूप में उपयोग किया जा सके।

- योजना का उद्देश्य** 3. इस निधि का गठन राजस्व अस्थिरता के जोखिम को कम करने के एक साधन के रूप में इसके उपयोग के उद्देश्य से किया गया है। इसलिए इस निधि से राशि का आहरण, असाधारण परिस्थितियों में जब राजस्व में अप्रत्याशित कमी या प्रतिबद्ध देयता में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, सरकारी संसाधनों की पूर्ति के लिए की जाती है।
- योजना के संचालन का प्रारंभ** 4. यह योजना निधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी।
- स्पष्टीकरण** (क) यह निधि किसी भी तरह से सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ)/गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) योजना का स्थान नहीं लेगी।
- (ख) इस निधि में निवेश के विरुद्ध सीएसएफ/जीआरएफ के समान विशेष आहरण सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ग) निधि को सीएसएफ/जीआरएफ में या इसके विपरीत स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
- (घ) इस निधि का उपयोग, राजस्व में अप्रत्याशित कमी होने पर, असाधारण परिस्थितियों में सरकारी संसाधनों की पूर्ति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- निधि में योगदान** 5. यह निधि खनन राजस्व (उपकर को छोड़कर) के राजस्व प्राप्ति खाते से गठित की जाएगी। खनन राजस्व (उपकर को छोड़कर) का 10% इस निधि में योगदान किया जाना है, समेकित निधि की तरलता को ध्यान में रखते हुए, यह राशि एकमुश्त या किश्तों में जमा की जा सकेगी।
- जमा** 6. राज्य के लोक लेखा खाते में जे० आरक्षित निधि (ख) आरक्षित निधि, खाता शीर्ष "8228 राजस्व आरक्षित निधि-00-101-राजस्व आरक्षित निधि-02-झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि-08-66-अंतः लेखा अंतरण" के अंतर्गत एक निर्दिष्ट खाता खोला जाएगा, ताकि निधि की राशि का हस्तांतरण किया जा सके।

- बजट स्थिरीकरण कोष में स्थानांतरण** 7- सरकार द्वारा जब भी निर्णय लिया जाएगा, निधि को खाता शीर्ष मांग संख्या 12-2075-विविध सामान्य सेवाएं-प्रशासनिक व्यय-00-797-आरक्षित निधि और जमा खातों से/में स्थानांतरण-02--झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि-08-66- अंतः लेखा अंतरण में स्थानांतरण से विनियोजन के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि से राशि का आहरण** 8- निधि से निकासी को प्रारंभ में राजस्व लेखा शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएँ-800-अन्य प्राप्तियाँ-05-झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा। आगे का लेखा-जोखा महालेखाकार द्वारा पैरा-12 के अनुसार किया जाएगा।
- सामान्य राजस्व के साथ निधि का संबंध** 9- निधि का कोष, जिसमें आवधिक अंशदान के साथ-साथ निधि को प्राप्त होने वाली आय शामिल है, सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जाएगा।
- निधि का प्रशासन** 10- इस निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक के नागपुर स्थित केन्द्रीय लेखा अनुभाग (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों के अधीन होगा।
- निधि की धनराशि का निवेश** 11- निधि में अभिवृद्धि का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों, नीलामी ट्रेजरी बिलों और अन्य राज्यों की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा, जिनकी परिपक्वता अवधि बैंक निर्धारित करेगा।
- स्पष्टीकरण (क)** निधि में अभिवृद्धि में आवधिक अंशदान तथा उसके निवेश से निधि को प्राप्त होने वाली आय शामिल होगी।
- (ख)** बैंक द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करके, अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क लगाए बिना, निवेश के लिए प्रतिभूतियों उपलब्ध कराएगा।
- खाता लेनदेन** 12- (क) बैंक सरकार की सलाह के अनुसार अपने पास रखे गए सरकारी खाते में राशि डेबिट करने की व्यवस्था करेगा।
- (ख)** निधि में अंशदान बैंक द्वारा अनुच्छेद 11 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में 10,000/- रुपये के गुणकों में निवेश किया जाएगा।

(ग) ब्याज आय के रूप में निधि में होने वाली आवधिक वृद्धि को बैंक द्वारा इसी प्रकार 10,000/- रुपये के गुणकों में पुनर्निवेशित किया जाएगा।

(घ) निधि में रखे गए और योजना के चालू रहने के दौरान परिपक्व होने वाले निवेशों को अनुच्छेद 11 के अनुसार पुनर्निवेशित किया जाएगा।

(ङ) निधि में बही अंतरण, निवेश, विनिवेश और ब्याज उपार्जन के लिए सभी लेखांकन समायोजन महालेखाकार द्वारा किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण (क) निवेश के लिए प्रतिभूतियों की खरीद पर खर्च की गई राशि को "8228-राजस्व आरक्षित निधि-00-102-राजस्व आरक्षित निधि-निवेश खाता-01-झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और नीलामी ट्रेजरी बिल" खाते से डेबिट किया जाएगा। प्रतिभूतियों की बिक्री होने पर इसे उसी सीमा तक क्रेडिट किया जाएगा।

(ख) निवेश खाते पर खरीदी गई प्रतिभूतियों पर परिपक्वता आय और प्राप्त ब्याज को खाता शीर्ष-8228 राजस्व आरक्षित निधि-00-101-राजस्व आरक्षित निधि के अंतर्गत निधि में जमा किया जाएगा।

(ग) बैंक सामान्य क्रम में आकस्मिक शुल्क घटाकर निवेश के कारण डेबिट की राशि सरकार को भेजेगा। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश लेन-देन अन्य लेन-देन के साथ मिश्रित न हों, इन्हें अलग-अलग स्कॉल में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(घ) बैंक निवेशों पर ब्याज वसूलने और उसे नियत तिथियों पर निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगा।

(ङ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर बैंक प्रतिभूतियों को भुनाने की व्यवस्था करेगा। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए समयपूर्व विनिवेश की स्थिति में बैंक सरकार के परामर्श से भुनाई जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रचलित मूल्य पर प्रतिभूतियों को बेचेगा और प्राप्त राशि से आकस्मिक शुल्क

घटाकर निधि में जमा करेगा। डेबिट स्कॉल की तरह बैंक प्राप्तियों के लिए अलग स्कॉल का उपयोग करेगा।

- (च) आवधिक अंशदानों के कारण होने वाले व्यय का प्रावधान सरकार के बजट में संबंधित शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले व्यय की राशि समतुल्य निवेश के निपटान द्वारा निधि से निकाली जाएगी।
- (छ) बैंक निधि के नाम से एक चालू खाता और सहायक सामान्य खाता खोलेगा और प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च के अंत में सरकार को निवेशों का विवरण दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (ज) निधि में योगदान के लिए बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार कार्यालय शीर्ष "8228-राजस्व आरक्षित निधि-00-101- राजस्व आरक्षित निधि-02-झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि-08-66-अंतः लेखा अंतरण" में क्रेडिट करेगा तथा शीर्ष "2075-विविध सामान्य सेवा-प्रशासनिक व्यय-ईओएम-00-797-आरक्षित निधि और जमा खातों से/में स्थानांतरण-02-झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि-08-66-अंतः लेखा अंतरण" में कॉन्ट्रा डेबिट करेगा।
- (छ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत निकासी ज्ञापन से निवेश की पुष्टि होने पर महालेखाकार कार्यालय शीर्ष 8228-राजस्व आरक्षित निधि-00-102-राजस्व निधि-निवेश खाता-02-झारखण्ड बजट स्थिरीकरण निधि-01-02-सरकार प्रतिभूतियों राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और एटीबी में निवेश को डेबिट करेगा तथा शीर्ष "8675-रिजर्व बैंक के पास जमा" राशि को कॉन्ट्रा क्रेडिट करेगा।
- (ट) राजस्व में कमी की आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए निधि से निकासी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के निकासी ज्ञापन में प्राप्त क्रेडिट को प्रारम्भ में शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएँ-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-झारखण्ड

बजट स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। महालेखाकार कार्यालय शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएं" में ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट को सेट ऑफ करने के लिए आगे कदम उठाएगा, साथ ही शीर्ष-8682-विविध सरकारी खाते-101-लेजर शेष समायोजन खाता में प्रति क्रेडिट करेगा।

- निधि के प्रशासन के लिए सेवा शुल्क** 13- सरकार बैंक को निधि के टर्नओवर पर एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत की दर से या समय-समय पर आपसी सहमति से तय की जाने वाली दर से कमीशन का भुगतान करेगी।
- लेखा एवं लेखापरीक्षा** 14- निधि और निवेशों के खाते सामान्यतः राज्य के महालेखाकार द्वारा रखे जाएंगे। बैंक सहायक लेखे ऐसे तरीके और विवरण के अनुसार रखेगा जैसा कि सरकार महालेखाकार के परामर्श से विचार करेगी।
- अपडेशन** 15- सरकार योजना के सुचारु संचालन हेतु समय-समय पर विचार किए जाने पर योजना के प्रावधानों से संबंधित निर्देश जारी करेगी। योजना के किसी प्रावधान के संचालन में किसी भी कठिनाई की स्थिति में सरकार संतुष्ट होने पर प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- विविध** 16- निधि में स्थानांतरित किए जाने वाले राजस्व प्राप्ति के हिस्से के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तथा साथ ही उन असाधारण परिस्थितियों का ब्यौरा, जिनके अंतर्गत निधि से राशि निकाली जानी है, बाद में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड तथा बैंक के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

(प्रशांत कुमार),
सरकार के सचिव।

FINANCE DEPARTMENT-----
NOTIFICATION**Notification No. Loan/Artho. (15)17/2025/688./Budget.--****Sub: - Constitution and Administration of the Jharkhand Budget Stabilisation Fund (BSF) Rules, 2025**

In exercise of powers conferred by Section 9(1) of the Jharkhand Financial Responsibilities and Budget Management Act, 2007 the Governor of Jharkhand is pleased to make the following rules:-

RULES

Jharkhand is a natural resource rich state, where mining activity generates approximately 6% of Gross State Domestic Product (GSDP). Revenue from mining sector consists of royalty and cess paid by the leases. About 80% of State Own Non-Tax Revenue and 26% of State Own Revenue comes from the mining sector. The State is very much dependent on mining sector for its economic, social & cultural development. Mining of under ground resources cannot keep going on forever. Hence, for sustainable growth, alternative to mining sector is required. However, the mining royalty and cess paid by the mines are dependent upon the total value of production. Total value of production is dependent upon the unit price of the mineral and quantity of minerals sold. The price of minerals such as coal, iron ore and bauxite etc. has a direct relation with demand of metals in national and international markets. The Indian Bureau of Mines set the price of the minerals taking into account the aggregate demand for metals in the economy. Mining revenue is quite sensitive to demand and price of metal in national and international market. Accordingly, substantial risk is associated with the mining revenue. It has become inevitable on the part of the State Government to recognize the fiscal risk stemming from the mining sector in terms of revenue volatility. Government of Jharkhand has decided to create the "Budget Stabilisation Fund (BSF)" which would enable the State to set aside 10% of Mining Revenue (excluding cess) as Budget Reserve for times of unexpected revenue shortfall or budget deficit. Budget Stabilisation Fund is to be adopted as a tool to mitigate revenue volatility.

Title of the Scheme 1. The Scheme shall be called 'Jharkhand Budget Stabilisation Fund (hereinafter referred to as 'the Fund') of the Government of Jharkhand (hereinafter referred to as 'the Government').

Constitution of the 2. The Fund is constituted with the corpus consisting of the

Fund		surplus revenue of the State each year to be set aside from the Jharkhand Consolidated Fund for use as Budget Reserve for times of unexpected revenue shortfall or unexpected increase in committed Liability or Budget deficit.
Objective of the Scheme	3.	The Fund has been constituted with an objective of using it as a tool to mitigate the risk of revenue volatility. The draw down from the fund is therefore, resorted to supplement the Government resources in the exceptional circumstances when there is unexpected shortfall of revenue or unexpected increase in committed Liability.
Commencement of The Operation of the Scheme	4.	The Fund shall come into force with effect from the financial year 2025-26.
		Explanation
		(a) The Fund shall in no way substitute the existing Consolidated Sinking Fund (CSF)/Guarantee Redemption Fund (GRF) scheme adopted by the Government.
		(b) Special Drawing Facility would be provided against the investment in the Fund, similar to CSF/GRF.
		(c) Funds may not be allowed to be transferred from the Fund to CSF/GRF or vice versa.
		(d) The Fund shall not be utilised for any purpose other than to supplement the Government resources in the exceptional circumstances when there is unexpected shortfall of revenue.
Contributions to the Fund	5.	This fund will constitute from Revenue Receipts Account of Mining Revenue (excluding cess). 10% of Mining Revenue (excluding cess) is to be contributed to this fund, keeping in mind the liquidity of consolidated fund, this amount may be deposited onetime or in installments.
Deposit	6.	A designated account in the Public Account of the State under J. Reserve Fund b) Reserve Funds not bearing interest at the Account Head "8228 Revenue Reserve Funds-00-101-Revenue Reserve Funds-02- Jharkhand Budget Stabilisation Fund-08-66-Inter-Account Transfer" will be opened to embody the corpus of the fund.
Transfer to the Budget	7.	The fund will be credited, as and when decided by the Government, through appropriation from the account Head

- Stabilisation Fund** Demand No. 12-2075-Miscellaneous General Services-00-Administrative Expenditure-797-Transfer to/From reserve funds and Deposit Accounts-02-Jharkhand Budget Stabilisation-08-66-Inter-Account Transfer.
- Drawal from Jharkhand Budget Stabilisation Fund** 8. Draw down from the Fund (is) to be initially recorded as Revenue Receipt under the Account Head 0075-Miscellaneous General Services-800-Other Receipts-05-Jharkhand Budget Stabilisation Fund Further accounting will be carried out by the Accountant General as in Para-12.
- Relationship of the Fund with General Revenues** 9. The corpus of the Fund comprising of the periodic contributions as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside the General Revenue of the Government.
- Administration of the Fund** 10. The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Reserve Bank of India at Nagpur (herein after referred to as "the Bank"), subject to such directions/ instructions as the Government may issue from time to time.
- Investment of the Corpus of the Fund** 11. The accretions to the Fund shall be invested in Government of India Securities, Auction Treasury Bills and State Government Securities of other states of such maturities as the Bank may determine.

Explanation

- (a) The accretions to the Fund shall include the periodic contributions and the income accruing to the Fund from investment thereof.
- (b) The Bank will make available the securities for investment by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 13.
- Account Transactions** 12. (a) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the advice of the Government.
- (b) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government Securities as indicated in paragraph 11 in multiples of Rs.10,000/-.
- (c) The periodic accretion to the Fund by way of interest income shall be reinvested by the Bank in a similar manner, in multiples of Rs.10,000/-.

- (d) The investments held in the Fund and maturing during currency of the scheme shall be reinvested in accordance with paragraph 11.
- (e) All the accounting adjustment for book transfer to the Fund, investment, disinvestment & interest accrual will be done at Accountant General's end.

Explanation

- (a) On investment, the amount spent on purchase of securities are to be debited from the account "8228-Revenue Reserve Funds-00-102-Revenue Reserve Funds-Investment account 01-Jharkhand Budget Stabilisation Fund Investment in G-Sec, State Govt. Securities and Auction Treasury Bill". This will be credited to the same extent when the securities are sold.
- (b) The Maturity proceeds and interest realised on securities purchased on the investment account shall be credited to the fund under the Account Head-8228 Revenue Reserve Funds-00-101-Revenue Reserve Funds.
- (c) The Bank shall scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.
- (d) The Bank shall arrange to collect interest on the investments and credit the same to the Fund on the due dates.
- (e) On the maturity of the securities, the Bank shall arrange to redeem the securities. In case of premature disinvestment to meet the revenue shortfall, the Bank will decide on the securities to be encashed in consultation with the Government and sell the securities, on a best effort basis, at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Fund. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

- (f) The provision for expenditure on account of the periodic contributions shall be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the equivalent investment.
- (g) The Bank shall open a Current Account and Subsidiary General Ledger Account in the name of the Fund and furnish to the Government as at the end of September and March each year, a statement showing the details of investments.
- (h) On receipt of sanction order from the Finance Department against the budget provision for contribution to the Fund, Accountant General's Office will afford credit to the head "8228-Revenue Reserve Fund-00-101-Revenue Reserve Funds-02-Jharkhand Budget Stabilisation Fund-08-66-Inter-Account Transfer" by contra debit to the head "2075-Miscellaneous General Service- Administrative Expenditure-EOM-00-797-Transfer to/From Reserve Funds and Deposit Accounts-02-Jharkhand Budget Stabilisation Fund-08-66-Inter-Account Transfer".
- (i) On confirmation of Investment from Clearance Memo furnished by RBI, Accountant General's Office will afford debit to the head 8228-Revenue Reserve Fund-00-102- Revenue Funds-Investment Account-02-Jharkhand Budget Stabilisation Fund-01-02-Investment in G-Sec, State Govt. Securities and ATB by contra credit to the head "8675-Deposit with Reserve Bank."
- (j) In case of draw down from Fund to meet exigencies of revenue shortfall, credit received in the Clearance Memo of RBI shall be initially classified under head 0075-Miscellaneous General Services-800-Other Receipts-01-Jharkhand Budget Stabilisation Fund. Accountant General's Office will take further steps to set off the credit under the head by minus credit to the head "0075-Miscellaneous General Services" with contra credit to the head, 8680-Miscellaneous Government Accounts-101-Ledger Balance Adjustment Account".

- | | | |
|---|------------|---|
| Service charges for Administration of the Fund | 13. | The Government shall pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 per cent of one per cent on the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time. |
| Accounts and Audit | 14. | The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary accounts in such manner and details as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General. |
| Updation | 15. | The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions. |
| Miscellaneous | 16. | The detailed modality with regard to the portion of revenue receipt to be transferred to the Fund and also the details on the exceptional circumstances under which draw down from the fund are to be effected will be worked out subsequently in consultation with the Accountant General (A & E), Jharkhand and the Bank. |

By Order of the Governor,

(Prashant Kumar),
Secretary to Government.
